इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जून 2012—आषाढ़ 5, शक 1934

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2012

क्र. एफ 7-2/2012/छ:.—1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **उद्देश्य.**—इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है।

3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "**तीर्थ स्थान**" से तात्पर्य उस स्थान/स्थानों के समूह से है जो कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ख) "**यात्रा**" से तात्पर्य नियम 3 (क) में उल्लिखित स्थान की यात्रा एवं उक्त स्थान की यात्रा के लिये की गयी आनुषंगिक यात्राओं से है।

(ग) "**यात्री**" से तात्पर्य उस व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह से है, जो नियम 3 (क) में उल्लिखित स्थान/स्थानों की यात्रा प्रारंभ करता है।

(घ) "**आवेदक**" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह से है जो कि नियम 3 (क) में उल्लिखित स्थान की यात्रा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है।

(ड.) "**सहायक**" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के आवेदक /आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है। यह व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए ।

(च) "**कोटा**" से तात्पर्य यात्रियों की उस संख्या से है, जो राज्य सरकार राज्य, जिला अथवा अन्य प्रकार से निर्धारित करे।

(छ) "**एजेन्सी**" से तात्पर्य उस संगठन अथवा संस्था से है, जिसका चयन राज्य सरकार इस नियम के अंतर्गत यात्राएं आयोजित करने हेतु करे। प्रथमतः आई.आर.सी.टी.सी. के पैकेज अनुसार यात्रियों को भेजा जायेगा।

(ज) "**संचालक**" से तात्पर्य उस अधिकारी से है, जिसे कि योजना के संचालन हेतु धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा अधिकृत किया जाय।

(झ) "**जीवन साथी**" से तात्पर्य यात्री की पत्नी अथवा पति से है।

4. यात्रा पर जाने के लिए पात्रता. –

इस योजना के अंतर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी :–

(1) मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।

(2) 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।

(3) आयकरदाता न हो।

(4) इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो।

(5) यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी., कांजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, coronary अपर्याप्तता, coronary thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।

5. **निरर्हता. –**

(1) यदि यह पाया गया कि आवेदक/ यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।

(2) नियम 15 में वर्णित शर्तो के उल्लंघन पर भी आवेदक/ यात्री को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।

(3) नियम 5 (1) एवं (2) के अंतर्गत निरर्ह व्यक्ति को भविष्य में आवेदन के लिए भी निरर्ह घोषित किया जा सकेगा।

6. **मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन राज्य स्तरीय प्रबंध समिति. –**

(1) राज्य सरकार विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन प्रबंध समिति गठित कर सकेगी।

(2) उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे –

1	मंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	अध्यक्ष
2	मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण	
3	मंत्री, पर्यटन	
4	प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	सचिव
5	प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण	
7	प्रमुख सचिव, गृह	
8	प्रमुख सचिव, वित्त	
9	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
10	प्रमुख सचिव, पर्यटन	

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

7. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन राज्य स्तरीय प्रबंध समिति के कर्तव्य. –

(1) समिति, निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन् करेगी–

(क) वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार–प्रसार।

(ख) यात्रियों की शिकायतों/ समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना।

(ग) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।

(घ) अन्य कार्य जो समय–समय पर सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

(2) समिति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए समय–समय पर उप समितियाँ बना सकेगी।

8. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जिला स्तरीय प्रबंध समिति –

(1) राज्य सरकार विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन प्रबंध समिति गठित कर सकेगी।

(2) उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे –

1. जिले का प्रभारी मंत्री — अध्यक्ष
2. कलक्टर — सचिव
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. जिला पुलिस अधीक्षक
5. माफी शाखा (कलक्टर कार्यालय) के प्रभारी अधिकारी/ कलेक्टर द्वारा नामांकित उप जिलाध्यक्ष से अनिम्न अधिकारी
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
7. जिले का सत्कार अधिकारी

जिले के प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में कलक्टर, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

9. **मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जिला स्तरीय प्रबंध समिति के कर्तव्य.** –

(1) समिति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी–

(क) वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार–प्रसार।

(ख) यात्रियों की शिकायतों/ समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना।

(ग) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।

(घ) अन्य कार्य जो समय–समय पर, सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

10. **तीर्थ स्थानों की सूची.** –

यात्रा हेतु तीर्थ स्थानों की सूची संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। उक्त सूची में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा और स्थानों को सम्मिलित अथवा कम किया जा सकेगा।

11. **आवेदन की प्रक्रिया.** –

(1) आवेदन दो प्रतियों में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा।

(2) आवेदन पत्र मात्र हिन्दी में ही भरा जाएगा।

(3) आवेदन के साथ 3.5cm X 3.5 cm साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रंट पोज में (सफेद पृष्ठभूमि मात्र) लगाना होगा।

(4) आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ रेसीडेंस) के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा–

(1) राशन कार्ड की प्रतिलिपि

(2) ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि

(3) विद्युत् देयक की प्रतिलिपि

(4) मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि

(5) राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य

(5) आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाए उस पर "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वर्ष 20---- में ———— स्थान की यात्रा के लिए आवेदन" अंकित किया जाए। रिक्त स्थानों में जिस वर्ष में जिस तीर्थ स्थान की यात्रा हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जाना चाहिये।

(6) आवेदक को किन्हीं दो नामनिर्देशितियों का नाम एवं अन्य विशिष्टियाँ जिनसे उनसे किसी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके, का वर्णन भी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर करना होगा। अपने कम से कम एक नामनिर्देशिती का मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा।

(7) 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। नियम 12 (4) के अंतर्गत व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समूह के साथ, 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को 1 सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। एक समूह में अधिक से अधिक 5 सहायक ही यात्रा पर जा सकेंगे। पति/पत्नी के साथ–साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक नहीं है।

(8) यदि आवेदक पति/ पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदक के जीवन–

साथी की आयु 60 वर्ष से कम हो, तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगी/कर सकेगा । आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवनसाथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है। ऐसी स्थिति में उक्त जीवनसाथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।

(9) यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह, अधिक से अधिक 25 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे । यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।

(10) सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को अनुज्ञेय हो।

(11) आवेदक को निकटतम तहसील/उप तहसील में या निर्धारित स्थान पर, इच्छित स्थान की यात्रा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, सरकर द्वारा निर्धारित समय सीमा के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

12. चयन की प्रक्रिया. –

यात्रियों का चयन कलक्टर द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :–

(1) यात्रा हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों को यात्रा स्थानवार छांटा जाएगा।

(2) प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी (कम्प्यूटराईज्ड ड्रा ऑफ लॉट्स) द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी ।

(3) चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।

(4) लाटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन किया गया हो) एवं सहायक (यदि सहायक की पात्रता हो और सहायक ने भी यात्रा पर जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो) को एक मानते हुये लॉटरी निकाली जाएगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ/सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी। नियम 11 के उप नियम (9) के अनुसार समूह में आवेदन किये जाने की स्थिति में, पूरे समूह के सदस्यों एवं उनके सहायकों (यदि सहायक की पात्रता है और सहायक ने भी यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो) का एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। समूह में लॉटरी में चयन होने की स्थिति में समूह में सम्मिलित आवेदकों की संख्या अनुसार चयन मानते हुए उतनी संख्या तक बर्थ/सीटें, उपलब्ध बर्थ/सीटों की संख्या से कम कर दी जाएगी।

(5) चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे, प्रसारित किया जाएगा।

(6) केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा।

13. यात्रा की प्रकिया.–

(1) कलक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची शासन द्वारा निर्धारित एजेन्सी को सौंपी जाएगी।

(2) निर्धारित एजेन्सी यात्रियों के समूह को यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी।

(3) यात्रियों के यात्रा व्यय एवं उन्हें उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का विनिश्चय शासन द्वारा किया जाएगा।

(4) यात्रियों के साथ अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में प्रथमतः राजस्व विभाग के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जाएगा। राजस्व विभाग के कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य विभागों एवं शासकीय निगम/मण्डल/आयोग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी भेजा जा सकेगा। उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय शासन वहन करेगा।

(5) यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था कलक्टर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी ।

14. यात्रियों के समूह.–

यात्रा केवल सामूहिक रूप से आयोजित की जाएगी । उक्त समूहों का निर्धारण शासन अथवा शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए शासन द्वारा निधारित न्यूनतम संख्या में यात्री उपलब्ध होने पर ही यात्रा प्रारंभ की जाएगी। योजना के अंतर्गत चयन होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु शासन बाध्य नहीं होगा।

15. अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध.–

केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना के अंतर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी

व्यक्ति को, भले ही वह यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो, यात्रा में साथ नहीं ले जा सकेगा। ट्रेन एवं वाहनों में केवल चयनित व्यक्ति ही यात्रा करेगा और एक सीट/बर्थ पर केवल एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा।

16. अतिरिक्त व्यय के संबंध में.–

यदि कोई यात्री, यात्रा के दौरान, शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा।

17 यात्रा के दौरान अपेक्षाएं.–

(1) यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे।

(2) यात्री अपने साथ आभूषणादि भी नहीं ले जा सकेंगे।

(3) यात्री तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हों।

(4) यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे।

18. यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियां.–

यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।

19. योजना पर व्यय.–

योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय (बजट सीमा तक), जिसमें यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय यथा परिवहन, दूरभाष, विज्ञापन, प्रचार–प्रसार, व्यावसायिक एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करना, सत्कार व्यय आदि सम्मिलित हैं, करने के लिए प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व सक्षम होंगे।

20. मुख्यमंत्री तीर्थ–दर्शन कोष.–

राज्य सरकार योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष बजट में समुचित प्रावधान करेगी। योजना के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ–दर्शन कोष स्थापित किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि और निजी स्त्रोतों से प्राप्त राशियाँ सम्मिलित होंगी। कोष का संचालन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा किया जाएगा, जो इसे जिलों को आवश्यकतानुसार आवंटित कर सकेगा। इस कोष का उपयोग उक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त तीर्थ यात्रा प्रबंधन हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी, संपर्क व्यक्ति के वेतन भत्तों एवं अन्य आनुषंगिक व्ययों के लिए भी किया जा सकेगा।

21. संचालक. –

योजना के दिन प्रतिदिन संचालन हेतु शासन द्वारा संचालक की नियुक्ति की जाएगी जो उप सचिव से अनिम्न स्तर का अधिकारी होगा। उसे आवश्यकतानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियॉ प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकेंगी।

22. अन्य.–

उपरोक्त वर्णित नियमों में प्रावधान होते हुए भी, योजना के कियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुलभ कराने एवं प्रशासकीय निर्णय, जिसमें वित्तीय व्यय (बजट प्रावधान की सीमा तक) भी सम्मिलित है, के लिए प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अधिकृत होंगे।

23. नियमों का निर्वचन. –

इन नियमों के किसी भी उपनियम या खण्ड की व्याख्या के लिये प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

परिशिष्ट(एक)
तीर्थ स्थानों की सूची

01 श्री बद्रीनाथ
02 श्री केदारनाथ
03 श्री जगन्नाथ पुरी
04 श्री द्वारका पुरी
05 हरिद्वार
06 अमरनाथ
07 वैष्णौदेवी
08 शिरडी
09 तिरूपति
10 अजमेर शरीफ
11 काशी (वाराणसी)
12 गया
13 अमृतसर
14 रामेश्वरम्
15 सम्मेद शिखर
16 श्रवणबेलगोला
17 वेलांगणी चर्च, नागापट्टनम् (तमिलनाडू)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(राजेश प्रसाद मिश्र)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु आवेदन-पत्र

आवेदक का फोटो
साईज 3.5×3.5 से.मी.

केवल कार्यालय के उपयोग के लिये

प्राप्ति का दिनांक :	सरल क्रमांक :	पंजीयन नं. :

तीर्थ स्थान का नाम :

बद्रीनाथ ☐ केदारनाथ ☐ जगन्नाथपुरी ☐ द्वारकाधीश ☐ हरिद्वार ☐
अमरनाथ ☐ वैष्णोदेवी ☐ काशी ☐ तिरुपति ☐ रामेश्वरम ☐
शिरडी ☐ गया ☐ अजमेर शरीफ ☐ स्वर्ण मंदिर अमृतसर ☐ श्रवणबेलगोला ☐
सम्मेद शिखर ☐ वेलांगणी चर्च नागापट्न ☐ (केवल एक स्थान पर ✓ का निशान लगावें)

आवेदक का धर्म— हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ सिख ☐ इसाई ☐ बौद्ध ☐ जैन ☐ अन्य ☐
(केवल एक स्थान पर ✓ का निशान लगावें)

अ श्रेणी 65+ वर्ष की आयु के आवेदक ☐ ब श्रेणी 60+ वर्ष की आयु के आवेदक ☐ (जो लागू हो उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

यात्रा समूह में करना प्रस्तावित है—हां ☐ नहीं ☐ (जो लागू हो उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

(समूह में अधिकतम 25 व्यक्ति हो सकते हैं। समूह के सभी आवेदकों के नाम की सूची बनाकर सारे आवेदन-पत्रों को इस सूची के साथ संलग्न कर जमा करें। कृपया पृष्ठ क्रमांक 4 में जानकारी भरें)

प्रत्येक खाने में केवल एक अक्षर भरें। एक शब्द के पश्चात् एक खाली खाना छोड़े।

आवेदक का पूरा नाम

लिंग : पुरुष ☐ महिला ☐ (जो लागू उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

पिता का पूरा नाम

माता का पूरा नाम

आवेदक का उपनाम (यदि कोई हो)

आवेदक की पत्नि / पति का नाम

आवेदक का पूर्ण पता

जिला राज्य म ध्य प्र दे श पिन कोड

सम्पर्क : दूरभाष : एस.टी.डी. कोड दूरभाष क्रमांक

मोबाइल क्र. शैक्षणिक योग्यता

व्यवसाय

जन्म तिथि आयु-वर्ष जन्म स्थान
दिन माह वर्ष

क्या मध्यप्रदेश का मूल निवासी है : हां ☐ ना ☐ (जो लागू उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों का विवरण:

पहचान-पत्र*

(*राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, विद्युत देयक, मतदाता पहचान-पत्र, शस्त्र लायसेंस, अथवा अन्य ऐसा प्रमाण-पत्र जो कि शासन द्वारा स्वीकार्य हो)

आयु का प्रमाण-पत्र :

मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र संलग्न है—: हां ☐ ना ☐ (जो लागू उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

अन्य संबंधित प्रमाण-पत्रों का विवरण :—

आवेदक के जीवन साथी (पत्नि / पति) का नाम
(यदि साथ जा रहे हो तो)

जीवन साथी का आवेदन संलग्न है : हां ☐ ना ☐ (जो लागू उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

सहायक का नाम*
(यदि सहायक को ले जा रहे हैं)

सहायक से संबंध (रिश्ता)

सहायक को ले जाने की स्थिति में क्या उसका आवेदन संलग्न है : हां ☐ ना ☐ (जो लागू उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)
(*केवल 65+ की आयु के ऐसे आवेदक जो यात्रा पर अकेले जा रहे है को ही सहायक ले जाने की पात्रता है। समूह में यात्रा करने पर 3 से 5 यात्रियों तक केवल 1 सहायक ही ले जा सकते है।)

आवेदक द्वारा नामित प्रतिनिधि का विवरण :—

पूरा नाम

पिता/पति का नाम

संबंध (रिश्ता) दूरभाष नंबर

वर्तमान पूर्ण पता

जिला राज्य म ध्य प्र दे श पिन कोड

नामित प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

पूरा नाम

पिता/पति का नाम

संबंध (रिश्ता) दूरभाष नंबर

वर्तमान पूर्ण पता

जिला राज्य म ध्य प्र दे श पिन कोड

नामित प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं ..... आत्मज/आत्मजा .....

निवासी .....

घोषणा करता हूं / करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान के आधार पर सत्य है।

(1) प्रमाणित है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नियम व निर्देश मैंने पूर्णतः पढ़े / सुन कर समझ लिये हैं और मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।

(2) यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।

(3) इस योजना के अन्तर्गत मैंने पूर्व में यात्रा नहीं की है।

(4) यात्रा हेतु चयन, किसी व्यक्ति को यात्रा पर ले जाने हेतु शासन पर बंधनकारी नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

चिकित्सीय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....

आत्मज/आत्मजा ..... निवासी .....

आयु ..... वर्ष यात्रा करने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हैं और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है।

शासकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

पावती

श्री/श्रीमती ..... आत्मज/आत्मजा .....

निवासी .....

का आवेदन-पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

समूह में यात्रा करने पर विवरण

(अधिकतम 25 व्यक्ति समूह में यात्रा करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। 65+ वर्ष की आयु के आवेदक यदि अपने जीवन साथी के बिना समूह में अकेले यात्रा कर रहे हैं तब 3 से 5 यात्रियों को 1 सहायक ले जाने की पात्रता है। समूह के समस्त सदस्यों एवं सहायकों के नाम यहां भरें। समूह के सभी सदस्यों एवं सहायकों के आवेदन भी संलग्न करें)

समूह के सदस्यों के नाम

1.* *(इस स्थान में समूह के मुखिया का नाम भरें)

2. 3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

10. 11.

12. 13.

14. 15.

16. 17.

18. 19.

20. 21.

22. 23.

24. 25.

क्या समूह के सभी सदस्यों के आवेदन संलग्न है—हां ☐ नहीं ☐ (जो लागू हो उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

कुल जमा आवेदनों की संख्या—☐☐

सहायकों के नाम

1. 2.

3. 4.

5.

क्या समूह के सभी सहायकों के आवेदन संलग्न है—हां ☐ नहीं ☐ (जो लागू हो उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

कुल जमा आवेदनों की संख्या—☐

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.